न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2023/280

1. हनुमान सहाय पुत्र घीसालाल
2. सुरेश पुत्र घीसालाल
3. श्रीमती घीसी देवी पत्नी घीसालाल
4. सीताराम पुत्र घीसालाल

   समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुन्दरी देवी पत्नी स्व0 महादेव
2. रामेश्वर पुत्र स्व0 महादेव
3. सीताराम पुत्र स्व0 महादेव
4. हरिनारायण पुत्र स्व0 महादेव
5. पोखर मल पुत्र स्व0 महादेव
6. मोहन लाल पुत्र स्व0 महादेव
7. महेश चन्द पुत्र स्व0 महादेव
8. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 महादेव

   जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

– रेस्पोडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 रा०भू०रा० अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर दिनांक 22.09.2022 बसिलसिला मि0 संख्या 21/2020 उनवानी महादेव बनाम हनुमान।

उपस्थित–

1. श्री प्रेमप्रकाश शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री घीसालाल कुमावत, महेश चन्द शर्मा रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 8 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक –11.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 22.09.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 202/580, 203, 204, 208, 209, 211 कुल किता 6का रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 8 के पिता ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार आमेर को उक्त आराजी के खातेदार एवं

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अन्य पडोसी खातेदार को विधिवत् सूचित कर उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिनांक 22.09.2022 को दिया।

3. उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुरके उक्त निर्णय दिनांक 22.09.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री हनुमान सहाय पुत्र घीसालाल वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर दिनांक 22.09.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 202/580, 203, 204, 208, 209, 211 कुल किता 6के संबंध में ही सीमाज्ञान की कार्यवाही के दौरान न तो अपीलांट को सूचना व सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया न ही मौके पर जाकर सीमाज्ञान की कार्यवाही की गई है क्योंकि सीमाज्ञान रिपोर्ट पर न तो किसी पडौसी खातेदार के हस्ताक्षर हैं न ही अगूंठा निशानी है। उक्त आराजीयात के अपीलांट्स पडौसी खातेदार हैं। जिनको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट्स द्वारा केवल मात्र रास्ते में आने वाली भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर पक्षपात पूर्णत तरीके से अपने पक्ष में पत्थरगढी का आदेश प्राप्त कर लिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों की जॉच एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर दिनांक 22.09.2022 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थीगण मुताबिक राजस्व रिकार्ड के खातेदार काश्तकार है। तथा अपीलांटका उक्त भूमि से कोई लेना–देना नहीं है। उपरोक्त आराजी पर प्रार्थीगण व अपीलांट मुताबिक बटवारा के काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं। अपीलांट प्रार्थीगण से कुछ समय से रजिश रखने के कारण प्रार्थीगण के हक व हिस्से की जमीन को जबरन दबाने एवं डोल तोडने व काटने पर आमादा पिसाद रहता है तथा जबरन डोल काटदेता है जिस सूरत में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जाना लाजिम हुआ एवं अपीलांट ने कई बार हम प्रार्थीगण के हिस्से की जमीन की डोल को जबरन तोडने व काटने व हम प्रार्थीगण के हिस्से की जमीन को जबरन अपनी में मिनाने का प्रयास किया जिससे तनावपूर्ण स्थिति रहती है। जिस सूरत में आराजी की मौके पर पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है जिससे प्रार्थीगण को न्याय मिल सके। अपीलांट उसके हिस्से के से अधिक रकबा पर जबरन कब्जा करने व अप्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा पिसाद है ऐसी स्थिति में उक्त आराजी की विधिवत रूप से पैमाईश करवायी जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित जॉच व रिकॉर्ड के अवलोकन पश्चात् पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

माननीय आयुक्त
जयपुर

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने समुचित जॉच व रिकॉर्ड के अवलोकन पश्चात् पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 21.06.2023को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थीगणरेस्पो0 संख्या 1 लगायत 8के पिता महादेव पुत्र किशना द्वारा ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 202/580, 203, 204, 208, 209, 211 कुल किता 6 का पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया। सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.11.2019 के मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट एकपक्षीय बिना किसी पडौसी खातेदारान् की उपस्थिति में तैयार की गई है तथा अपीलाधीन आदेश बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना ही पारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। उक्त विवेचना एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 22.09.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान् को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।